

आईएनडी एस को एनएसीएस द्वारा तैयार किया गया है और इसकी सिफारिशों सहित इसे कारपोरेट कार्य मंत्रालय को सौंप दिया गया है। एनएसीएस ने सुझावों/टिप्पणियों पर जोर डालते हुए आईएनडी एस प्रारूप तैयार करते समय परामर्शी तरीका अपनाया है और इसके लिए उसके पश्चात एनएसीएस में उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया है। अंत में सिफारिश किए गए आईएनडी एस में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं। इन सुधारों को लेखाकरण सिद्धांतों व्यवहारों के प्रयोग तथा भारत की मौजूदा आर्थिक स्थिति के बीच अंतर/फासले को भरने के लिए किया गया है।

### 1. आईएनडी एस-21 - विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन में प्रभाव

इसमें मौद्रिक मदों को विदेशी मुद्रा से सीधे लाभ/हानि में प्रचलित मुद्रा में परिवर्तित करने के चलते उत्पन्न विनिमय अंतर को जानने की आवश्यकता है।

#### सुधार

आईएनडी एस-21 कुछ दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों को विदेशी मुद्रा से प्रचलित मुद्रा में सीधे साम्या में परिवर्तित करने से उत्पन्न विनिमय अंतर को मानने के लिए एक विकल्प की अनुमति देता है। ऐसी स्थिति में, आईएनडी एस-21 को संचित विनिमय अंतर को उचित तरीके से लाभ अथवा हानि में परिशोधित किए जाने आवश्यकता है।

### 2. आईएनडी एस-28 - संघों में निवेश

1. पैरा 25 के अनुसार किसी भी दशा में एक संघ की रिपोर्टिंग अवधि तथा निवेशक की अवधि में तीन महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

## सुधार

आईएनडी एस-28 के पैरा 25 में महत्वपूर्ण आवश्यकता के अंतर्गत 'जब तक यह अव्यवहार्य हैं' 45 जोड़ दिया गया है।

2. 9एस -28 के अनुसार निवेशक का वित्तीय वितरण तैयार करते समय लेखाकरण में साम्या पद्धति के प्रयोग के उद्देश्य से एकसमान लेखाकरण नीतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्य शब्दों में, यदि संघ की लेखाकरण नीतियां निवेशक की नीतियों से अलग है तो निवेशक को उसी तरह की लेखाकरण नीतियों का प्रयोग करते हुए संघ का वित्तीय विवरण परिवर्तित कर देना चाहिए।

## सुधार

महत्वपूर्ण आवश्यकता अर्थात् आईएनडी एस-28 के पैरा 26 में 'जब ऐसा करना अव्यवहार्य हैं' पद जोड़ दिया गया है।

### 3. आईएनडी एस-32 - वित्तीय साधन प्रस्तुति भाग में

आईएनडी एस-32 के पैरा 11(ख) ii में 'वित्तीय देयता' की परिभाषा में एक संशोधन को अपवाद स्वरूप जोड़ दिया गया है, जो विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित परिवर्तनशील बांड में निहित एक्विटी परिवर्तन विकल्प पर एक एक्विटी संसाधन के रूप एक्विटी स्वामित्व वाले एक्विटी साधनों को एक निश्चित संख्या में प्राप्त करने के लिए विचार करने हेतु किया गया है यदि प्रचालित मूल्य किसी भी मुद्रा में निर्धारित किया गया है। इस अपवाद को 9एस 32 में नहीं दिया गया है।

#### 4. आईएनडी-39 - वित्तीय साधन: मान्यता और मापन

9एस 39 में उचित मूल्यों में सभी परिवर्तन करने की आवश्यकता है यदि आरंभिक मान्यता के समय लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां निर्धारित की गई हैं तो इन्हें लाभ अथवा हानि माना जाएगा। 9एफआरएस 9 में, जो 9एस 39 का स्थान लेगा, इन्हें 'अन्य व्यापक आम' के रूप में माना जाएगा।

#### सुधार

आईएनडी एस -39 के पैरा 48 में एक परंतुक जोड़ दिया गया है जो वित्तीय देनदारियों की उचित मूल्य निर्धारित करेगा जिनको आरंभिक मान्यता के समय लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निश्चित किया गया था, एक्विटी स्वामित्व वाले क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तन के परिणामस्वरूप उचित मूल्य में हुए किसी भी परिवर्तित को अनदेखा कर दिया जाएगा।

#### 5. आईएनडी एस-103 व्यापार संयोजन

आईएफआरएस 3 में व्यापार संयोजन के कारण होने वाले मोलभाव खरीद लाभ को लाभ अथवा हानि के रूप स्वीकार करने की आवश्यकता है।

#### सुधार

आईएनडी एस 103 में इसको अन्य व्यापक आय में माना जाना चाहिए तथा पूंजी रिजर्व के रूप में एक्विटी में संचित किया जाए जब तक कि व्यापार संयोजन के खरीद लाभ के रूप में वर्गीकरण किए जाने कारणों

का स्पष्ट प्रमाण ना हो, ऐसी स्थिति में, इसको सीधे पूंजी रिजर्व के रूप में एक्विटी में मान्यता दी जानी चाहिए।

**6. आईएनडी एस 101, भारतीय लेखाकरण मानकों पहली बार अपनाना**

(i) भारतीय लेखाकरण मानकों (आईएनडी एस) 101 को पहली बार अपनाए जाने पर तुलनात्मक प्रस्तुति (आईएसआरए 1 के संदर्भ में)

आईएफआरएस 1 परिवर्ती दिनांक को एक आरंभिक अवधि के रूप में परिभाषित करता है जिसमें एक एक्विटी आईएफआरएस के अंतर्गत संपूर्ण तुलनात्मक सूचना प्रदान करती है। यह दिनांक आईएफआरएस की आरंभिक बिन्दु होती है और इस दिनांक को इन मानकों में वैकल्पिक छूट तथा अनिवार्य अपवाद के रूप में प्रदान किए गए स्तर को छोड़कर मानकों का पूर्व तिथि से प्रयोग करके उस दिनांक को स्थितियों का मूल्यांकन करने के आधार पर परिवर्तन वर्ष के आंकड़ों को आईएफआरएस के आधार पर तैयार आईएफआरएस के अंतर्गत बनाए गए प्रथम वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया जाता है।

**सुधार**

आईएनडी एस 101 में एक एक्विटी को मौजूदा अधिसूचित लेखाकरण मानकों के अनुसार तुलनात्मक रूप में प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बताया गया है कि उपर्युक्त तुलनात्मक के अतिरिक्त एक एक्विटी को भी आईएनडी एस के अनुसार ज्ञापन आधार तुलना के लिए प्रदान किया जा सकता है।

## (ii) समाशोधन की प्रस्तुति

आईएफआरएस में पूर्व के जीएएपी से आईएफआरएस में परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए तुलनात्मक अवधि के लिए समाशोधन हेतु आरंभिक एक्विटी, व्यापक आय, नकदी प्रवाह विवरण और बंद होने वाली एक्विटी की आवश्यकता है।

### सुधार

आईएनडी एस 101 ज्ञापन आधार पर तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरण प्रदान करने के लिए एक विकल्प देता है। जिसमें एनटिटीज इस विकल्प का प्रयोग नहीं करती हैं और इसलिए वे अपना तुलनात्मक विवरण नहीं देती है, वे समाशोधन के लिए कुल व्यापक आय, नकदी प्रवाह विवरण और बंद होने वाली एक्विटी का परिवर्तन में अत्यधिक अंतर को बताने की अपेक्षा की जाती है। जो एनटिटीज तुलनात्मक विवरण प्रदान करती हैं उन्हें समाशोधन दिखाना होता है जो आईएफआरएस के अनुसार ही है।

(iii) बिक्री के लिए रोकی गई गैर-चालू संपत्तियों की लागत और भारतीय लेखाकरण मानकों को पहली बार अपनाए जाने पर परिवर्तन दिनांक को बंद प्रचालन (आईएनडी एस)

### सुधार

आईएनडी एस 101 परिवर्ती राहत प्रदान करता है कि आईएनडी एस 105 का प्रयोग करते समय बिक्री के लिए रोकی गई गैर-चालू संपत्तियों और बंद प्रचालनों को एक एक्विटी ऐसी संपत्तियों अथवा प्रचालनों का उस

समय के मूल्य से कम और लागत बिक्री हेतु लागत घटा उचित मूल्य पर मापने के लिए परिवर्तन दिनांक की परिस्थितियों का प्रयोग कर सकती है।

**(iv) दीर्घ अवधि मौद्रिक मदों के परिवर्तन पर विदेशी मुद्रा लाभ/हानि**

**सुधार**

आईएनडी एएस 101 बताता है कि परिवर्तन की तिथि पर यदि दीर्घ अवधि मौद्रिक संपत्तियां अथवा दीर्घ अवधि मौद्रिक देयताएं जिनका उल्लेख आईएनडी एएस-21 के पैरा 29 में किया गया है, का एक एनटिटी उस पैरा में संपत्ति/देनदारी की पूर्वगामी अथवा उत्तरोत्तर प्रभाव से अप्राप्त लाभ/हानि के समय विस्तार के संबंध में दिए गए विकल्प का प्रयोग कर सकती है। यदि विकल्प को उत्तरोत्तर प्रभाव से लागू किया जाता है तो इन मदों के संबंध में संचित विनिमय अंतर को परिवर्तन के दिनांक पर शून्य माना जाएगा।

**(v) परिवर्तन दिनांक पर मौजूद वित्तीय संसाधन**

**सुधार**

आईएनडी एएस 101 बताता है कि परिशोधित लागत पर लगाए गए वित्तीय साधन को वित्तीय साधन की मान्यता दिनांक से आईएनडी एएस 39 के अनुसार मापा जाना चाहिए जब तक कि एक एनटिटी के लिए प्रभावी ब्याज पद्धति को पूर्वगामी प्रभाव से लागू करना अथवा आईएनडी एएस-39 की हानि आवश्यकताओं को लागू करना अव्यवहार्य न हो। (जैसा कि आईएनडी एएस-8 में परिभाषित किया गया है) यदि ऐसा करना अव्यवहार्य हो तो आईएनडी-एएस में परिवर्तन की दिनांक को वित्तीय संपत्ति के उचित मूल्य को उस वित्तीय संपत्ति के आईएनडी-एएस

में परिवर्तन के दिनांक को नई परिशोधित लागत पर होना चाहिए। आईएनडी एस 101 एक अन्य छूट प्रदान करता है कि उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय साधनों में आईएनडी एस में परिवर्तन तारीख से उचित मूल्य पर मापा जाना चाहिए।

**(vi) आईएनडी एस 101 के अंतर्गत भारतीय लेखाकरण मानकों को पहली बार अपनाने के समय पूर्व जीएएपी की परिभाषा**

आईएफआरएस 1 पूर्व जीएएपी को लेखाकरण के उस आधार के रूप में परिभाषित करता है जिसमें आईएफआरएस अपनाने से तुरंत पहले विधान का प्रयोग किया गया था।

## **सुधार**

आईएनडी एस 101 पूर्ण जीएएपी को लेखाकरण के आधार के रूप में परिभाषित करता है कि भारत इसकी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए आईएनडी एस को अपनाने से तुरंत पहले प्रथम बार विधान का प्रयोग किया गया था। उदाहरणार्थ, कंपनी नियम (लेखाकरण मानक), 2006 के अंतर्गत अधिसूचित मौजूदा लेखाकरण मानकों के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने वाली कंपनियों को अपने उन वित्तीय विवरणों को पूर्व जीएएपी वित्तीय विवरण के रूप में मानना चाहिए।

**(vii) भारतीय लेखाकरण मानकों को प्रथम बार अपनाएं जाने की तारीख को संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (पीपीई) की लागत, अमूर्त संपत्तियां निवेश संपत्ति**

आईएनडी एस 101 एनटिटी को 9एनजी एस के अंतर्गत क आरंभिक बिन्दु के रूप में स्वीकार पूर्व जीएएपी के अनुसार परिवर्तन की तारीख को सभी संपत्तियों की आगे ले जाने वाले मूल्य का प्रयोग करना चाहिए।

## ख. विशेष उद्योगों के लिए सुधार

### 7. आईएनडी एस 18 - राजस्व

9एस 18, के सिद्धांतों के आधार पर, आईएफआरआईसी 15 एस्टेट के निर्माण के लिए अनुबंध पर विनिर्दिष्ट करता है कि रियल एस्टेट के निर्माण को माल की बिक्री माना जाना चाहिए और जब एनटिटी अत्यधिक जोखिम तथा स्वामित्व के लाभों को हस्तांतरित कर दिया हो तथा अपने पास न ही प्रबंधकीय भागीदारी और न ही प्रभावी नियंत्रण रखा हो तो राजस्व बसूला जाना चाहिए। आईएनडी एस 18 राजस्व में आईएफआरआईसी 15 को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे अनुबंधों को आईएनडी एस 18 से बाहर रखा गया है और आईएनडी, एस, निर्माण करार में शामिल किया गया है।

### 8. आईएनडी एस 18 - राजस्व

#### सुधार

आईएनडी एस 18 राजस्व के पैरा 1 में एक फुट नोट शामिल किया गया है कि विनियमित दरों वाली मान्यता के एनटिटीज के लिए यह मानक संशोधित माना जाएगा जहां और उस स्तर तक जिसमें मान्यता के द्वारा ऐसी एनटिटीज की राजस्व बसूली प्रभावित होती है तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा उपरोक्त विषय पर जारी किए गए मार्गदर्शन नोट के अनुसार विनियामक संपत्तियों/देनदारियों का मापन प्रभावित होता है।

9. कृषि पर भारतीय लेखाकरण मानक  
(आईएस-41 के संदर्भ में)

9एस 41, कृषि में जैविक संपत्तियों नामतः जीवित पशुओं, और पेड़-पौधों की उचित मूल्य पर मापन की आवश्यकता है और लाभ अथवा हानि में ऐसे मापन से उत्पन्न होने वाले लाभ तथा हानि को मान्यता देने की आवश्यकता है जब तक कि उचित मूल्य का निर्धारण अविश्वसनीय हो।

**सुधार**

मानक को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है और वर्तमान स्वरूप में इसे जारी नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

10. आईएनडी एस -19 - आईएफआरएस/आईएसएस की तुलना में  
कर्मचारी के लाभ सीमित करने के विकल्प

आईएनडी एस 19 के अनुसार रोजगार उपरांत लाभ प्रतिबद्धता में छूट के लिए प्रयुक्त दर सरकारी बांडों पर बाजार लाभ के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी जबकि 9एस 19 के अंतर्गत सरकारी बांड वहीं प्रयोग किए जा सकते हैं जहां उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट का कोई अच्छा बाजार न हो। भारतीय उपदान नियमों के अंतर्गत अधिकतम सीमा तक उपदान के विषय में समझाने के लिए आईएनडी एस 19 में एक उदाहरण शामिल किया गया है। 9एस 19 रोजगार उपरांत निर्धारित लाभ योजनाओं के लिए बीमा के लाभ अथवा हानि की गणना के लिए विभिन्न विकल्प प्रदान करता है जबकि आईएनडी एस 19 रोजगार उपरांत निर्धारित लाभ योजनाओं तथा अन्य दीर्घ अवधि रोजगार लाभ योजनाओं दोनों में इसकी

अन्य व्यापक आय के रूप में मानने की आवश्यकता महसूस करता है।  
अन्य व्यापक आय के अंतर्गत माने गए बीमा लाभों को तत्काल प्राप्त  
आय में गिना जाना चाहिए और आने वाले समय में इसे पुनः लाभ  
अथवा हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए।